कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Telephone & Fax No.- (0755) 2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/ 2309 — भोपाल, दिनांक : 17/9/2021

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश
2. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन) मध्यप्रदेश

विषय :– काष्ठ कूपों में लगुण कार्य में सुधार बावत्।

––::00::––

कूपों में पातित वृक्षों के लगुण हेतु कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये है। कार्यो की गुणवत्ता एवं सुगमता की दृष्टि से इस संबंध में निम्नानुसार समान्वित निर्देश जारी किये जाते है :–

1. यह देखा गया है कि अधिक से अधिक लम्बाई के लट्ठे बनाने पर लट्ठे के मूल्य में वृद्धि होती हैं। अतः लट्ठे का ग्रेड परिवर्तन हुए बिना लंबे से लंबा लट्ठा बनाये जाने के प्रयास किये जाने चाहिये।
2. मैदानी अमले की सुविधा हेतु विदोहित वृक्षों के लगुण हेतु मानक लॉगिंग प्लान आगे दिया गया है। लॉगिंग प्लान के अनुसार ग्रेड को ध्यान में रखते हुये लॉगिंग सुनिश्चित करने से कुल प्राप्त मात्रा का 25 से 30 प्रतिशत तक 4 मीटर से अधिक लंबाई की काष्ठ प्राप्त की जा सकती है।
3. लगुण कार्य में बाजार की मांग की जानकारी लाभकारी होती है। अतः प्रत्येक विदोहन वर्ष के आरम्भ में संबंधित वन मंडलाधिकारी व्यापारियों से चर्चा कर इस संबंध में जानकारी प्राप्त करें, तथा तदानुसार लॉगिंग प्लान में आवश्यक सुधार करें। लागिंग प्लान में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया में कोई भी संशोधन संबंधित मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन से ही किया जाये।
4. कूप/डिपो में काष्ठ की लंबाई का माप किये जाने पर 10 से.मी. के गुणांक से अधिक की लंबाई व्यर्थ जाती है, अर्थात् इसकी कीमत प्राप्त नहीं होती है। अतः लगुण के लिये निशान देते समय लंबाई वर्ग में 10 से.मी. के गुणांक में 2 से.मी. छोड़कर निशान लगाये जावें। उदाहरण स्वरूप 2–3 मीटर लंबाई वर्ग में 2.12, 2.22, 2.32, 2.42, 2.52, 2.62, 2.72, 2.82, 2.92, तथा 3.02 पर लगुण हेतु निशाना लाया जावे। यथासंभव 2.32 व 2.42 मीटर लम्बाई के स्थान पर 2.52 के लट्ठे बनाये जायें, ताकि वर्तमान में बाजार की मांग के अनुसार 8 फुट लंबाई प्राप्त हो सके।

5. वृक्ष के तने में लगुण के चिन्ह लगाते समय ध्यान रखा जायेगा कि बोंगाई के बाद लट्ठे के सिरे में दो मुंह न दिखें। जहाँ Branching के दोनों शाख लगभग एक सी मोटाई की हों तथा पूरे–पूरे सीधे लट्ठे निकालना संभव न हो, वहाँ Branching से पहले एवं बाद में कट देकर 1 मीटर तक के टुकड़े निकाले जा सकते है। ऐसे टुकड़े शिल्पकारों के काम आ सकते है।

6. लट्ठे में कोहनी मोड़ नहीं रखा जावेगा।

7. प्रतिवर्ष विदोहन कार्य आरम्भ होने से पूर्व वनमंडल स्तर, परिक्षेत्र स्तर एवं कूप स्तर पर लगुणन कार्य का प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश समय–समय पर जारी किये गये है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वन मंडलाधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी की उपस्थिति आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तिथियाँ संबंधित मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्यालय को पृष्ठांकित की जाये, ताकि यथासंभव मुख्य वन संरक्षक, तथा मुख्यालय के अधिकारी प्रशिक्षणों में उपस्थित हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 3 के अनुसार व्यापारियों से प्राप्त सुझावों को यथासंभव सम्मिलित किया जाये।

8. सभी वनमंडलों में विदोहन, लगुण तथा काष्ठ श्रेणीकरण की निर्देशिकायें समय–समय पर प्रकाशित की जाती है। आवश्यकतानुसार निर्देशिकाओं में संशोधन कर नई प्रतियाँ छपवाई जायें, तथा यह निर्देशिकायें उत्पादन कार्य में संलग्न प्रत्येक कर्मचारी के पास मौके पर उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जायें।

9. पूरे प्रदेश के काष्ठागारों में सागौन, साल एवं मिश्रित प्रजाति के लट्ठे गोलाई एवं लंबाई वर्ग में निम्न प्रपत्र अनुसार निकाले जायेंगे :–

प्रजाति	गोलाई वर्ग (से.मी. में)	लंबाई वर्ग (मीटर में)
सागौन बीजा शीशम लट्ठा	41–50, 51–60, 61–75, 76–90, 91–105, 106–120, 121–135, 136–150, 151–180, 180 से ऊपर	1 तक, 1–2, 2–3, 3–4, 4–5, 5–6, 6–7, 7 मीटर से ऊपर
साल एवं अन्य मिश्रित प्रजाति लट्ठे	51–60, 61–75, 76–90, 91–120, 121–150, 151–180, 180 से.मी. से ऊपर	2 तक, 2–3, 3–4, 4–5, 5 मीटर से ऊपर
सागौन बल्ली	15–20, 21–30, 31–40	2–3, 3–4, 4–6, 6 मीटर से ऊपर
सागौन डेंगरी	21–30, 31–40	1 तक, 1–2
अन्य बल्ली	21–30, 31–40, 41–50	2–3, 3–5, 5 से अधिक
मांग अनुसार अन्य डेंगरी	21–30, 31–40, 41–50	2 मीटर तक

10. विभिन्न लंबाई वर्ग में निम्नानुसार लंबाई की काष्ठ प्राथमिकता से यथासंभव निकाली जावे :–

अ.क्र.	लंबाई वर्ग	आपेक्षित लंबाई	विशेष
1	1–2	1.20, 1.30, 1.40, 1.80, 1.90	सीधे टुकड़े यथास्थिति ग्रेड परिवर्तन के बिना बनाये जाये। यथासंभव 2.30 व 2.40 के स्थान पर 2.50 के लट्ठे निकाले जाये।
2	2–3	2.30, 2.40, 2.50 2.70, 2.80	
3	3–4	3.20, 3.30, 3.40, 3.60	
4	4–5	4.70, 4.80, 4.90	
5	5–6	5.10, 5.20	
6	6–7	6.10, 6.20, 6.30, 6.40, 6.50, 6.60, 6.70, 6.80, 6.90, 7.00	
7	7 से ऊपर	7.20, 7.30, 7.40	

11. (I) सागौन बीजा एवं शीशम काष्ठ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय ए, तृतीय बी एवं चतुर्थ बी वर्ग में वर्गीकरण किया जायेगा। इसके वर्गीकरण हेतु छः गुणवत्ता के बारे में विस्तृत में प्रपत्र 'अ' संलग्न है।

(II) साल एवं अन्य मिश्रित प्रजाति के काष्ठ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय ए, तृतीय बी, चतुर्थ श्रेणी में ही वर्गीकरण किया जायेगा, जिसका कि प्रपत्र 'ब' में विस्तृत विवरण संलग्न है।

12. लट्ठे के मध्य गोलाई की माप मोटे सिरे से मापकर तय की जावेगी।

लट्ठों के मापन हेतु निर्देश

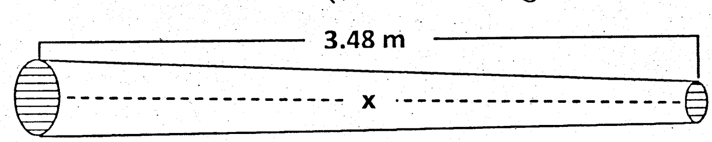

काष्ठ के लट्ठों की माप कूप में एवं डिपो में ली जाती है, प्रायः पाया जाता है कि लट्ठे की गोलाई में अंतर है। इस समस्या से निपटने के लिये यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि लट्ठे पर एक x का निशान चाक से अंकित कर दिया जाये और लट्ठे की गोलाई उसी स्थान पर नापी जाये।

उदाहरण के लिये ऊपर चित्र में एक लट्ठा दिखाया गया है, जिसकी लंबाई 3.48 मीटर है। इस लट्ठे पर x का चिन्ह कहाँ पर लगाया जाये, इसका निर्धारण निम्नानुसार किया जावे :–

1. वास्तविक लंबाई = 3.48 मीटर
2. निर्देशों के अनुसार अभिलिखित मान्य लंबाई = 3.4 मीटर
3. 3.4 का आधा = 1.7 मीटर
4. 1.7 मीटर की माप मोटे सिरे से नापी जाकर उस पर x का चिन्ह लगाया जावे।

इस प्रकार लट्ठे पर एक बार x का निशान लगा देने पर लट्ठे की गोलाई में अंतर नहीं आयेगा।

13. टेपर से संबंधित गणना का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :–

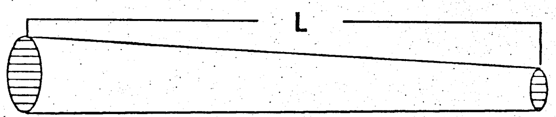

X = मोटे सिरे की गोलाई से.मी. में

Y = पतले सिरे की गोलाई से.मी. में

L = लट्ठे की लंबाई मीटर में

T = टेपर से.मी. में

P = टेपर (%)

Z = 3 मीटर लंबाई हेतु टेपर (%)

R = प्रति मीटर लंबाई हेतु टेपर (%)

(1) टेपर (T)	=	(X-Y) से.मी.
(2) टेपर का प्रतिशत (P)	=	$\frac{(X-Y)}{X} \times 100$
(3) प्रति मीटर टेपर का प्रतिशत (R)	=	$\frac{P}{L}$
(4) 3 मीटर लंबाई हेतु टेपर का प्रतिशत (Z)	=	$\frac{P}{L} \times 3$ या $= R \times 3$

उदाहरण के लिये :–

एक सागौन के लट्ठे की मोटे सिरे पर गोलाई 137 से.मी. है और पतले सिरे पर गोलाई 118 से.मी. है। यदि लट्ठे की लंबाई 3.8 मीटर है तो **X = 137, Y = 118**

अतः (1) टेपर (T)	=	(137-118) = 19 से.मी.
(2) टेपर का प्रतिशत (P)	=	$\frac{19}{137} \times 100$
	=	13.8 %
(3) प्रति मीटर टेपर का प्रतिशत (R)	=	$\frac{13.8}{3.8}$
	=	3.6 %
(4) 3 मीटर लंबाई हेतु टेपर	=	3.6 x 3
का प्रतिशत (Z)	=	10.8 %

उक्त निर्देशों के अतिरिक्त विदोहन, लगुणन एवं श्रेणीकरण के लिये पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

R.Gupta 17/3/21

(रमेश कुमार गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D/Desktop Data

प्रपत्र – 'अ'

व्यापारिक श्रेणी के काष्ठ का प्रस्तावित वर्गीकरण – प्रजाति सागौन, बीजा, शीशम

श्रेणी	गठाने	टेढ़ापन	टेपर	पोलापन	खार	जलापन
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम	अधिकतम 2 जीवित गठानें प्रति 3 मी. लंबाई में मान्य	मान्य नहीं	प्रति 3 मी. लंबाई के लिये 5 प्रतिशत अंतर तक मान्य	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
द्वितीय	अधिकतम 6 जीवित गठानें प्रति 3 मी. लंबाई में मान्य	76 से.मी. से अधिक गोलाई के लट्ठों में प्रति 3 मी. लंबाई में एक टेढ़ 10 से.मी. गहराई तक मान्य	प्रति 3 मी. लंबाई में 10 प्रतिशत तक अंतर मान्य	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
तृतीय ए	असीमित जीवित गठानें	प्रति 3 मी. लंबाई में 15 से.मी. गहराई तक एक टेढ़ मान्य	प्रति 3 मी. लंबाई 20 प्रतिशत तक अंतर मान्य	केवल एक सिरे पर व्यास का 1/10 तक पोलापन मान्य दूसरा सिरा ठोस	मान्य नहीं	लम्बाई में 10 प्रतिशत तक एवं गोलाई में 5 प्रतिशत तक मान्य
तृतीय बी	असीमित गठानें	प्रति 3 मी. लंबाई में 20 से.मी. गहराई तक एक टेढ़ापन मान्य	असीमित	दोनों सिरों पर व्यास का 1/10 तक पोलापन मान्य, यदि लट्ठा एक सिरे पर ठोस है तो दूसरे सिरे में 1/10 से 1/4 तक पोलापन मान्य	व्यास का 1/10 तक मान्य	मान्य
चतुर्थ ए	असीमित गठानें	असीमित	असीमित	दोनों सिरों पर व्यास का 1/5 तक पोलापन मान्य, यदि लट्ठा एक सिरे पर ठोस है तो दूसरे पोले सिरे में 1/4 से 1/2 तक पोलापन मान्य	व्यास का 1/4 तक मान्य	मान्य
चतुर्थ बी	असीमित गठानें	असीमित	असीमित	असीमित	व्यास का 1/2 तक मान्य	असीमित

APCCF (Production)

D/Desktop Data

प्रपत्र – 'ब'

व्यापारिक श्रेणी के काष्ठ का प्रस्तावित वर्गीकरण – प्रजाति साल एवं अन्य मिश्रित प्रजाति

श्रेणी	गठाने	टेढ़ापन	टेपर	पोलापन	खार	जलापन
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम	अधिकतम 2 जीवित गठानें प्रति 3 मी. लंबाई में मान्य	मान्य नहीं	प्रति 3 मी. लंबाई के लिये 5 प्रतिशत अंतर तक मान्य	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
द्वितीय	अधिकतम 6 जीवित गठानें प्रति 3 मी. लंबाई में मान्य	76 से.मी. से अधिक गोलाई के लट्ठों में प्रति 3 मी. लंबाई में एक टेढ़ 10 से.मी. गहराई तक मान्य	प्रति 3 मी. लंबाई में 10 प्रतिशत तक अंतर मान्य	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
तृतीय ए	असीमित जीवित गठानें	प्रति 3 मी. लंबाई में 15 से.मी. गहराई तक एक टेढ़ मान्य	प्रति 3 मी. लंबाई 20 प्रतिशत तक अंतर मान्य	केवल एक सिरे पर व्यास का 1/10 तक पोलापन मान्य दूसरा सिरा ठोस	मान्य नहीं	लम्बाई में 10 प्रतिशत तक एवं गोलाई में 5 प्रतिशत तक मान्य
तृतीय बी	असीमित गठानें	प्रति 3 मी. लंबाई में 20 से.मी. गहराई तक एक टेढ़ापन मान्य	असीमित	दोनों सिरों पर व्यास का 1/10 तक पोलापन मान्य, यदि लट्ठा एक सिरे पर ठोस है तो दूसरे सिरे में 1/10 से 1/4 तक पोलापन मान्य	व्यास का 1/10 तक मान्य	मान्य
चतुर्थ	असीमित गठानें	असीमित	असीमित	दोनों सिरों पर व्यास का 1/5 तक पोलापन मान्य। यदि लट्ठा एक सिरे पर ठोस है तो दूसरे पोले सिरे में 1/4 से 1/2 तक पोलापन मान्य	व्यास का 1/4 तक मान्य	मान्य

APCCF (Production)

D/Desktop Data